उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य एवं रसद अनुभाग-2

संख्या-01/2018/35/29-2-18-एम-74/12

लखनऊ : दिनांक: 27 अप्रैल, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री राम दुलारे, सेवानिवृत्त, विपणन निरीक्षक द्वारा वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2009-10 में केन्द्र-बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर की तैनाती अवधि में बरती गयी गंभीर अनियमितताओं के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-956(1)/29-2-2012-एम-74/12, दिनांक 24-08-2012 एवं संख्या-93/2269/29-2-2013-एम-74/12, दिनांक 23-10-2013 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351 ए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी।

2- श्री राम दुलारे, सेवानिवृत्त, विपणन निरीक्षक के विरूद्ध सी0एस0आर0 351 ए के अन्तर्गत गतिमान विभागीय कार्यवाही में निर्णय लिये जाने के पूर्व ही दिनांक 13-11-2016 को उनकी मृत्यु हो गयी। अतएव श्री राम दुलारे, सेवानिवृत्त, विपणन निरीक्षक के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351 ए के अन्तर्गत जारी विभागीय कार्यवाहियॉं क्रमश: दिनांक 24-08-2012 एवं दिनांक 23-10-2013 को एतदद्वारा समाप्त किये जाने के श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से

शीतला प्रसाद द्वितीय
विशेष सचिव।

<u>संख्या-यथोक्त तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग , उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक-44/आ0वि0शा0-78-84, दिनांक 03-01-2018 के संदर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित की वे उक्त आदेश की प्रति स्व0 राम दुलारे , सेवानिवृत्त विपणन निरीक्षक के आश्रित को तामील कराकर तामीली रसीद शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

[redacted]भागीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर संभाग गोरखपुर।

[redacted]बंधित कोषाधिकारी को खाद्यायुक्त के माध्यम से ।

4- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(प्रेम शंकर राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in